भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 4582
उत्तर देने की तारीख : सोमवार, 22 जुलाई, 2019
31 आषाढ़, 1941 (शक)

स्मारकों का अतिक्रमण

4582. श्रीमती मीनाक्षी लेखी:
श्री विनोद कुमार सोनकर:
श्री राजा अमरेश्वर नाईक:
डॉ सुकान्त मजूमदार:

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में निजी व्यक्तियों/समूहों/एनजीओ द्वारा कई ऐतिहासिक और संरक्षित स्मारकों/इमारतों और स्थलों पर अवैध अतिक्रमण कर लिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विगत पांच वर्षों के दौरान इस अतिक्रमण में तेजी से वृद्धि हुई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान भारतीय पुरातत्व संस्थान (एएसआई) और अन्य सिविल प्राधिकारियों द्वारा पृथक रूप से हटाए गए अतिक्रमणों का राज्य और संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार द्वारा सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में ऐतिहासिक स्मारकों को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे हैं?

उत्तर
संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) उत्तर प्रदेश सहित अतिक्रमणाधीन केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की संख्या का ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

(घ) सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में ऐतिहासिक स्मारकों को अतिक्रमण से बचाए रखने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 तथा नियम, 1959 के उपबंधों के तहत सक्रिय कदम उठाए हैं। इस अधिनियम के उपबंधों के तहत अधीक्षण पुरातत्वविदों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। इसके पश्चात् केंद्र सरकार ऐसे अतिक्रमण को हटाने के लिए जिला कलेक्टर/मजिस्ट्रेट को निर्देश देती है। अतिक्रमण को रोकने तथा उन्हें हटाने के लिए मंडलों के प्रभारी अधीक्षण पुरातत्वविदों को लोक परिसर (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत अतिक्रमण करने वालो को बेदखली संबंधी नोटिस/आदेश जारी करने के लिए संपदा अधिकारी के अधिकार दिए गए हैं। चुनिंदा स्मारकों की संरक्षा और सुरक्षा के लिए नियमित पहरा और निगरानी कर्मचारियों के अलावा निजी सुरक्षा कार्मिकों, राज्य पुलिस गार्डों और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया है।

भरसक प्रयास करके कुछ स्मारकों से अतिक्रमण हटाए गए हैं जिन्हें अनुबंध-II में दर्शाया गया है।

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 22.07.2019 **को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं.** 4582 **के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध**

अतिक्रमण हुए केंद्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार) की संख्या

क्र.स.	**राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम**	**अतिक्रमणाधीन केंद्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों की संख्या**
1.	असम	6
2.	बिहार	6
3.	छत्तीसगढ़	7
4.	दिल्ली	11
5.	हिमाचल प्रदेश	3
6.	हरियाणा	7
7.	कर्नाटक	48
8.	मध्य प्रदेश	2
9.	महाराष्ट्र	46
10.	ओडिशा	6
11.	पंजाब	7
12.	तमिलनाडु	74
13.	राजस्थान	22
14.	उत्तर प्रदेश	75
15.	पश्चिम बंगाल	1
	जोड़	321

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 22.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 4582 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

विगत पांच वर्षों के दौरान केंद्रीय संरक्षित स्मारकों से आंशिक रूप से हटाए गए अतिक्रमण का ब्यौरा

क्र.सं.	**स्मारक का नाम**	**स्थान**	**जिला**	**राज्य**
1.	महादेव मंदिर	बेलपन	बिलासपुर	छत्तीसगढ़
2.	चैतुरगढ़ किला	लाफा	कोरबा	
3.	दंतेश्वरी देवी मंदिर	दंतेवाड़ा	दक्षिण बस्तर	
4.	असफी इमामबाड़ा	लखनऊ	लखनऊ	उत्तर प्रदेश
5.	वारेन हेस्टिंग का घर	बारासत	उत्तरी 24 परगना	पश्चिम बंगाल
6.	थेर टीला	सिरसा	सिरसा	हरियाणा
7.	अली वर्दी खां की मस्जिद	सराय अला वर्दी	गुडगांव	